

केन्द्रीय मुहर विभाग-2

हमारा संदर्भ : के.मु.वि.-2/16: 573

25 05 2018

विषय: आई एस 573:1992 के (ट्राइसोडियम फासफेट) संशोधन संख्या 2 फरवरी 2018 का अनुपालन

1. आई एस 573:1992 के संशोधन संख्या 2 को प्रकाशित किया गया है एवं इसकी अनुपालन तिथि 12 अप्रैल 2018 है ।
2. इस संशोधन के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । इस संशोधन को अनुपालन तिथि से लागू करने का निर्णय लिया गया है ।
3. सभी शाखा कार्यालय, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे सूचित करें।

(अदाने खासी)

वैज्ञानिक सी (सी एम डी-2)

प्रमुख (के.मु.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशाला/सीएचडी कार्यालयों को परिचालित
आई टी एस विभाग - बीआईएस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 573

25 05 2018

Subject: Implementation of Amendment No. 02 February 2018 to IS 573:1992 (Trisodium Phosphate)

1. Amendment No. 02 to IS 573:1992 has been published with date of establishment as 12 April 2018.
2. For implementation of this amendment no change is required in the existing STI. It has been decided to implement the amendment with effect from the date of establishment.
3. All BOs may inform all the Licensees/Applicants under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Adane Khraasi)

Scientist-C

Head (CMD-2)

Circulated to all ROs/BOs/Labs/CHD

Copy to: ITS for hosting on BIS Intranet

**AMENDMENT NO. 2 FEBRUARY 2018
TO
IS 573 : 1992 TRISODIUM PHOSPHATE**

(Fourth Revision)

[Page 2, Table 1, Sl No. ii), col (2)] — Substitute 'P₂O₅' for 'P₂O₃'.

[Page 2, Table 1, Footnote ¹)] — Substitute 'dry basis' for 'dry ???'.

(Page 4, clause A-3.3, line 1) — Substitute 'P₂O₅' for 'P₂O₃'.